रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250969
CG-DL-E-29122023-250969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
No. 319] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

(मामला संख्याः ए डी (ओआई)-06/2023)

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 06/06/2023-डीजीटीआर.—1. मै. स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''ए डी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें **चीन जन.गण**) .जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल

के अथवा वहां से निर्यातित "**एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज**") जिसे यहां आगे **"संबद्ध वस्तु"** अथवा **"विचाराधीन उत्पाद"** या **"पीयूसी"** भी कहा गया है (के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज" है । एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज मिथाइल मैथाक्रीलेट रेजिन (एमएमए), एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पिगमेंट्स से प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में उत्पादित गैर-छिद्रित, कम अनुरक्षण, मानव निर्मित सामग्री है और इसका प्रयोग काउंटरटॉप जैसी सतहों के लिए होता है और इसे पियरलैस स्वच्छता और सौदर्य विशेषताओं के साथ प्रचलित भवन सामग्री माना जा सकता है। यह ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर और अन्य प्राकृतिक रूप से मिलने वाली सामग्रियों जैसा दिख सकता है और इसे किसी प्रशिक्षित कारीगर द्वारा लगभग अदृश्य रूप से जोड़ा जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद को सीमलैस काउंटरटॉप स्थापनाओं में प्रयोग किया जाता है और आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे किचन काउंटरटॉप , सिंक, बाथरूम, फर्नीचर फिटिंग, वाल क्लेडिंग आदि के लिए व्यापक रेंज के अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है । एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज का प्रयोग वाणिज्यिक स्थानों जैसे कार्यालयों, खुदरा दुकानों, मॉल, होटल और बार, अस्पताल और क्लीनिक आदि में भी किया जाता है ।

4. एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज को 6 एमएम, 12 एमएम आदि की मोटाई में आम तौर पर तैयार काउंटर टॉप्स में फ्रैब्रीकेशन के लिए विशिष्ट रूप से 760 एमएम x 2440 एमएम, 760 एमएम x 3660 एमएम जैसे आकारों में विशिष्ट रूप से शीट के रूप में विनिर्मित किया जाता है, सिंक, शॉवर पैन और बाथ टब सहित विभिन्न आकारों में ढाला भी जा सकता है । शीट रूप में संबद्ध वस्तु को गर्म किया और थर्मोफॉर्मिंग नाम प्रक्रिया के प्रयोग से त्रिआयामी आकार में मोड़ा भी जा सकता है, जो इस उत्पाद को अनेक प्रयोगों के लायक बनाता है । प्राकृतिक पत्थरों की तुलना में संबद्ध वस्तु में अधिक रंग और डिजाइन के विकल्प उपलब्ध हैं जिसने इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में योगदान दिया है ।

5. उत्पाद के विवरण आयात की सूचना के अनुसार यह दर्शाते हैं कि आयातकों ने 100 प्रतिशत एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज, प्यौर एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रेलिक शीट्स, पीएमएमए की निर्मित मोन्टेल्ली शीट्स, पीएमएमए शीट्स, स्टारन सॉलिड सर्फेस, क्रिओन मिथाइलमेथाक्रेलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथेक्रीलिक रेजिन शीट्स आदि प्रयोग विवरणों का संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है ।

6. आवेदन में विचार किए गए विचाराधीन उत्पाद में एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज को शामिल किया गया है, भले ही उनकी मोटाई कुछ भी हो, जिसमें माप की इकाई किलोग्राम (किलोग्राम) में रिपोर्ट किए गए उत्पाद का वजन है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और कोड 3920 के तहत वर्गीकृत है। इस उत्पाद का आयात उपशीर्षों- 39205111,39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 और 35069999 के तहत किया गया है । तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तु का आयात अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया गया हो और इसलिए सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने वर्तमान आवेदन में किसी भी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। इच्छुक पक्ष इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस दिनों के भीतर पीयूसी / पीसीएन पर अपनी टिप्पणियां/ प्रस्तुतियां दे सकते हैं।

ख . समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित किए जाने के लिए आरोपित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । इन दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रथमदृष्टया ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के ''समान वस्तु'' के रूप में माना जा रहा है ।

ग. संबद्ध देश

10. आवेदक ने चीन जन.गण. और जापान को संबद्ध देश के रूप में प्रस्तावित करते हुए याचिका दायर की है। हालाँकि, प्राधिकरण ने केवल चीन जन.गण. को एक संबद्ध देश माना है, क्योंकि जापान के मामले में पाटन मार्जिन नकारात्मक था।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 तक की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 -31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च, 2022 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. यह आवेदक मै. स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके पास पीओआई के दौरान संबद्ध वसतु के भारतीय उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और इसलिए उसके पास वर्तमान आवेदन दायर करने की अपेक्षित स्थिति है । आवेदक ने यह भी बताया है कि उसने संबद्ध देश से पीयूसी का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से आयातक से संबंधित हैं ।

13. आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) **(i)** और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागतों या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार इसकी उचित तुलना करें । ऐसा नहीं होने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

15. आवेदक ने यह दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधित आंकड़ों या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाने का विकल्प उपलब्ध नहीं है । जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद उपलब्ध सर्वोततम सूचना के अनुसार परिकलित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। कीमतों को कारखाना द्वार स्तर तक लाने के लिए उचित कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन सकें ।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है । इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है ।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में खपत, मालसूची के स्तरों में वृद्धि, सकारात्मक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री, घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनकारी प्रभाव की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदक ने दलील दी है कि संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक पीबीटी, पीबीआईटी और आरओसीई के कारण घाटा उठाना पड़ा है । आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई में वास्तविक निष्पादन संयंत्र की स्थापना के समय अनुमानित स्तर से काफी कम रहा है जो दर्शाता है कि उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से प्रभावित हुई है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं ।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा ए डी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच में उक्त नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथानिर्धारित सिद्धातों का पालन किया जाएगा ।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा भेजी गई या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को सूचना दिए जाने की तारीख से

तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें ।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ों का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

30. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सममरीकरण संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें । **प्रस्तुतियाँ / प्रतिक्रियाओं / सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को असहयोगी माना जा सकता है।**

ढ. <u>असहयोग</u>

33. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण को ईमेल करें। प्रस्तुतियों / प्रतिक्रियाओं / जानकारी के एक गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता एक इच्छुक पार्टी को गैर-सहयोगी के रूप में विचार करने का कारण बन सकती है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

Case No. AD (OI)-06/2023

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Acrylic Solid Surfaces" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/06/2023-DGTR.—1. M/s Stylam Industries Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "AD Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of **"Acrylic Solid Surfaces"** (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from **China PR** (hereinafter referred to as "subject country").

2. The applicant has alleged that material injury and threat of material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

3. The product under consideration is **"Acrylic Solid Surfaces"** originating in or exported from China PR. Acrylic Solid Surfaces are non-porous, low-maintenance, manmade materials produced from Methyl Methacrylate resin (MMA), Aluminium Hydroxide and Pigments as the key raw materials and are used for surfaces such as countertops and can be inferred as a trendy building material with peerless hygiene and aesthetic properties. It can mimic the appearance of granite, marble, stone, and other naturally occurring materials, and can be joined nearly invisibly by a trained craftsman. The product under consideration is used in seamless countertop installations and also for a wide range of applications, for residential and commercial purposes such as in kitchen countertops, sinks, bathrooms, furniture fittings, wall cladding etc. Acrylic Solid Surfaces are also used in commercial spaces such as offices, retail outlets, malls, hotels and bars, hospitals and clinics etc.

4. Acrylic Solid Surfaces are typically manufactured in sheet form in sizes such as 760mmX2440mm, 760mmX3660mm etc. for fabrication into finished countertops, commonly in thicknesses such as 6mm, 12mm etc., they can also be cast into a variety of shapes, including sinks, shower pans and bathtubs. Subject goods in sheet form can also be heated and bent into three-dimensional shapes using a process called thermoforming, which adds to the versatility of the product. There are more colour and design options available in the subject goods in comparison to natural stones which has over the period contributed to the demand for subject goods.

5. The product descriptions as per the import information shows that the importers have used descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krion Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets etc while importing the subject goods from subject country.

6. The product under consideration as considered in the application covers Acrylic Solid Surfaces irrespective of their thicknesses wherein the unit of measurement considered is weight of the product reported in Kilograms (Kg).

7. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and the code 3920. The product has been imported under the subheadings- 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 and 35069999. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product.

8. The applicant has not proposed any PCNs in the present application. The interested parties may offer their comments/submissions on the PUC/ PCN, if any, within thirty days from the date of date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

10. The applicant has filed petition proposing China PR and Japan as the subject countries. However, the Authority has considered only "China PR" as a subject country, since the dumping margin was negative in case of Japan.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April 2022 to 30th June 2023. The injury investigation period covers the periods 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by M/s Stylam Industries Limited. The applicant has claimed that it is the largest producer of the subject goods in India constituting more than 80% of the Indian production of the subject goods during the POI and therefore, has the requisite standing to file the present application. The applicant has further stated that it has not imported the PUC from the subject country and is not related to any exporters in the subject country nor to any importers in India.

13. The Authority notes, after due examination, that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value

14. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market-driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

15. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available. The normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b. Export Price

16. The export price for the subject goods has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with the normal value.

c. Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

18. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury that took place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to consumption in India, increase in the inventory levels, positive price undercutting & underselling and price suppressing effect on the domestic industry. The applicant contends that the subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the domestic industry suffered losses leading to negative PBT, PBIT and ROCE throughout the injury period. The applicant has claimed that the actual performance in the POI has been much lower than the projected levels while setting up the plant which shows the establishment of the industry has been affected materially. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

19. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

20. The principles as stipulated under Rule 6 of the said Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

K. TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

26. Any party making any confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

28. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/ responses/ information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

33. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2023.12.29 23:42:42 +05'30'